फ़ार्म 'अ'

(नियम 2 देखिये)

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 146 के अधीन)

………………………………………………………. के न्यायालय में श्री …………………………… ……… …… आत्मज……………………………………………..………………….. गाँव निवासी……………………………… …………………………………………………………………………… तहसील………………………………..… … जिला……………………………………… की आपको इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि अनुलग्न विवरण में दिये गए ब्यौरे के अनुसार भू-राजस्व की बकाया के कारण …………………………….. रूपये आपसे प्राप्त है। आपने इस सूचना पत्र की प्राप्ति से…………………………… दिनों के भीतर शास्ति एवं आदेशिका फीस के रूप में …………………………… रुपयों सहित उक्त रकम नहीं चुकाई तो आपके विरुद्ध प्राप्य रकमों की वसूली के लिये विधि अनुसार बलात कार्यवाही की जावेगी।

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| गाँव | खाता क्रमांक | बकाया रकम | शास्ति | आदेशिका फीस | कुल प्राप्त रकम | तामील की तारिख |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | रूपये | रूपये | रूपये | रूपये |  |

**टीप: यदि उक्त राशि आपके द्वारा जमा की जा चुकी हो, तो चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।**

मुद्रा

तारीख……………………………… तहसीलदार